न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :–(डॉ०अवनीश कुमार।।) आई.डी–यू.पी.1523

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–211/2026

यू०पी०एस०नं० 1000652–2026

1. ओम प्रकाश पुत्र किशोरी
2. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल
3. राज कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र अमृतलाल

निवासीगण मिसिरपुर, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या 161 सन् 2020, धारा–147, 323, 504, 188, 270, 325, भा०दं०स० व धारा–51 बी. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही।

22.04.2026

1. नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ओम प्रकाश पुत्र किशोरी, कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल, राजकुमार उर्फ मुन्ना पुत्र अमृतलाल निवासीगण मिसिरपुर, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही के द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सम्बंधित मुकदमा अपराध संख्या 161 सन् 2020, धारा–147, 323, 504, 188, 270, 325 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–51 बी. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही के मामले में सुना गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 23.02.2026 से न्यायालय के आदेश से आज तक अन्तरिम जमानत पर थे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दिये गये आत्मसमर्पण प्रार्थना–पत्र पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया है कि अभियोजन द्वारा जैसा कहा गया है वैसी कोई घटना प्रार्थीगण द्वारा कारित नही की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा न तो लाठी डण्डा, तलवार आदि से लैस होकर नाजायज गोल कायम करके धोबी बस्ती के लोगो को एक–एक करके मारते पीटते गये और न तो किसी प्रकार से कोई अपराध कारित किये। वादी मुकदमा ने महज रंजिशन उक्त मुकदमा उनके विरूद्व कायम कराया है, जिसकी कोई असलियत नही है। उक्त मुकदमा में अभियुक्त डिम्पल मिश्रा है, जिनके विरूद्व एस०सी०/एस०टी०एक्ट का मुकदमा कायम है और उसी अपराध संख्या में उक्त धारा में प्रार्थीगण जो जाति के अनुसूचित जाति धोबी है उक्त मुकदमा कायम किया है। न्यायालय में आरोप–पत्र आ चुका है। जमानत प्रार्थनापत्र में आगे यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा व उनके परिवार वालों को न तो मारा पीटा न तो गाली गुप्ता दिया, महज रंजिशन उक्त मुकदमा उनके विरूद्व कायम कराया गया है। प्रार्थीगण को उक्त मुकदमा के बावत कोई सम्मन नोटिस नही प्राप्त हुआ और न तो जानकारी ही थी, गांव में अफवाहन इसकी सूचना वादी मुकदमा द्वारा प्रचारित की गयी, तो प्रार्थीगण को इसकी जानकारी हुयी। जैसा कि वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है, वैसी कोई घटना

प्रार्थीगण द्वारा कारित नही की गयी है। प्रार्थीगण निर्दोष है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्तगण को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाय।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थीगण से धोबी विरादरी के लोगो से खड़न्जा रास्ता को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, उसी बात को लेकर दिनांक 14.07.2020 शाम को भीम पुत्र मेवालाल हरिजन को धोबी बस्ती के लोग, ओम प्रकाश पुत्र किशोरी, उमेश पुत्र खेलाड़ी ने मिलकर मार दिये, सुबह दिनांक 15.07.2020 को पूछने गये, उनके पिता जी उस बस्ती के गाली गलौज करने और ललकारते हुये गांव की तरफ आने लगे, काफी संख्या में लोग लाठी, गड़ासा, भाला, तलवार के साथ चढ़ायी कर दिये। प्रार्थीगण बीच बचाव करने गये, तो एक–एक करके मारते गये, जिसमें दस बूरी तरह घायल हो गये। उपरोक्त सूचना अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बंधित थाने में दर्ज हुई।

4. इस प्रकरण में वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, वादी मुकदमा द्वारा कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

5. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा/पीड़ित के साथ लाठी डण्डा से मारपीट एवं गाली गलौज करते हुये जाति सूचक गालियां देने आदि की घटना कारित की गयी है, अभियुक्तगण जमानत पर छूटने पर जमानत का दुरूपयोग करेगे। जमानत के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाय।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप है कि अभियुक्तगण अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व अन्य लोगो को लाठी डण्डा, तलवार आदि से मारे पीटे, मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दिये और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 23.02.2026 से अंतरिम जमानत पर है, मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपित धाराओं में 7 वर्ष या उससे कम के सजा का प्रावधान है। अतः उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ओम प्रकाश पुत्र किशोरी, कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल, राजकुमार उर्फ मुन्ना पुत्र अमृतलाल निवासीगण मिसिरपुर, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही, का जमानत प्रार्थना–पत्र सम्बंधित मुकदमा अपराध संख्या 161 सन् 2020, धारा–147, 323, 504, 188, 270, 325 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–51 बी. आपदा प्रबन्धन अधिनियम,थाना–ज्ञानपुर, जिला–भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण /अभियुक्तगण प्रत्येंक के द्वारा मु० 25,000/– रूपये की दो–दो जमानतें व इतनी ही

धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगे और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेगे ।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगे और विचारण में सहयोग करेगे।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 22.04.2026

(डॉ०अवनीश कुमार॥)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.04.22 17:23:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court